



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1899]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 28, 2016/श्रावण 6, 1938

No. 1899]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 28, 2016/SRAVANA 6, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2016

का.आ. 2560 (अ).- यतः, मै. ओ पी जी एस पावर गुजरात प्राईवेट लिमिटेड, ने गुजरात राज्य में ग्राम भद्रेश्वर, तालुक मुंद्रा, जिला कच्छ, में इंजिनियरिंग के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या आ.का.आ. 3724(अ) दिनांक 10 दिसंबर, 2013 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 50.75.35 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने पत्र दिनांक 25 अप्रैल, 2014 द्वारा मै. ओ पी जी एस पावर गुजरात प्राईवेट लिमिटेड का अनुमोदन पत्र मै. ओ पी जी एस इन्फास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड, जो कि इसकी एक सहायक कंपनी है, के नाम हस्तांतरित कर दिया था;

और यतः, मै. ओ पी जी एस इन्फास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 50.75.35 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, गुजरात सरकार ने उनके दिनांक 21 जून, 2016 के पत्र सं. आई.सी/इन्फ्रा/एस.ई.जेड-सेल/1198995 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यतः, विकास आयुक्त, कांडला विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव को संस्तुति की है;

अतः इसलिए केन्द्र सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद्द करती है;

[फा. सं. एफ-1/10/2011-एस.ई.जेड]

भूपिन्दर भल्ला, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th July, 2016

**S.O.2560(E).**—WHEREAS, M/s. OPGS Power Gujarat Pvt. Ltd, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a an Engineering Special Economic Zone at Village Bhadreshwar, Taluka Mundra, District Kutch, in the State of Gujarat;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 50.75.35 hectares at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 3724 (E) dated 10<sup>th</sup> December, 2013;

AND, WHEREAS, the Central Government has approved the request of M/s. OPGS Power Gujarat Pvt. Ltd for transfer of Letter of Approval to its subsidiary company M/s. OPGS Infrastructure Pvt. Ltd vide letter dated 25<sup>th</sup> April, 2014.

AND, WHEREAS, M/s. OPGS Infrastructure Pvt. Ltd has now proposed for full de-notification of 50.75.35 hectares area at the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Gujarat has given its “No Objection” to the proposal vide their letter No. IC/Infra/SEZ-Cell/1198995, dated 21<sup>st</sup> June, 2016;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Kandla Special Economic Zone has recommended the proposal for full de-notification of the Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F-1/10/2011-SEZ]  
BHUPINDER S. BHALLA, Jt. Secy.